


अहकाम जो इस  
दुकम की तामील  
में जारी हुए

13872  
राज्यीय लोक अदालत में आज  
पेश हुई प्राथमिक क्वारा रिपोर्ट तहसील  
इन्डौर के युवाधिक तारी मोहनवारी के हिस्से  
में ख.स. 2015/1 रुका 0.35 एकर ख.स.  
2017/1 रुका 1.30 एकर कुल रिया-2 रुका  
योग रुका 1.65 एकर वाले ग्राम कवाले  
रहेगा। एवं ख.स. 2015/2 रुका 0.25 ए  
ख.स. 2017/2 रुका 1.39 एकर रिया-2  
योग रुका 1.64 एकर वाले ग्राम कवाले  
परिवारि स. 1 के सरकारी के हिस्से में रहेगा  
पुनः प्राथमिक क्वारा रिपोर्ट पर  
वादिनी के पाली व परिवारि स. 1 के  
पुत्र द्वारा क्वारा सहकार के द्वारा  
किये गये ही अतः तदनुसार अन्तिम  
दिकी किया जाता ही पत्तवणी के सब  
शुमार होकर सब तहसील दाखिल  
पत्र है।

2000वम  
A

उपस्थित अधिकारी  
नाबरी (बुन्दी)

  
राज्यीय लोक अदालत  
दि. नं. .... ता. वैश.

संख्या २४४५

केसरबाई पाटी मुलचंद जाले शाली म्हा  
 लडा खेडा तहसील इन्व्हाइलर कृष्ण  
 २. राज्य सरकार जॉय तहसीलदार इन्व्हाइलर  
 ३. पुन्दी चे-मोडगह क्षेत्रीय आमीन वरुण  
 (कपी-मी) पहाडी

दावा बाबत 53,188 रु.गा

मुकदमा नम्बर 29/दावा/2015 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमरे व हाजिरी  
 श्री सुरेश कुमार वर्मा पटवारे मिनजानिब मुद्दई रुबरु

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि  
 वादिनी का दावा आदेश ईकी दिशा जाता है, ०२/०२/२०१५ तहसीलदार इन्व्हाइलर  
 २०१५ रुका ०१६० ईशर से से ख.स. २०१५/१ रुका ०१३५ ईशर ख.स  
 २०१५/२ रुका ०१६० ईशर से से ख.स. २०१७/१ रुका ११३० ईशर रुका २०१७/२ ख.स  
 इतरादीना की तरफ लगे आम काबजे वादिनी के हीसे से रहेगी। ख  
 ख.स. २०१५/२ रुका ०१२५ ईशर ख.स. २०१७/२ रुका ११२९ ईशर  
 ख.स. ११६५ ईशर इतरादीना की तरफ चारुपरी ११ के हीसे से रहे

निज मुबलिग बाबत खर्चा इन  
 मुकदमें के मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख  
 से तारीख अदायगी तक का अदा करें।  
 सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13-08-2022 माह

सन को जारी की गई।

दस्तखत ओहदा

उपरोक्त अधिकारी  
 बाबरी (कपी)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

पताय सत्याआ से श्रण लेने में अत्यधिक परेशानी हो रही है इसलिए वादी के लिए वाद विषयक आराजी का विधिवत रूप से बंदवारा कराना अति आवश्यक हो गया है।